उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
आपराधिक विवध आवेदन संख्या 428/2014

सूरज सिंह और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

.....

प्रतिवादी

माननीय आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति

यह आपराधिक विविध आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके पश्चात् 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट) की खंड 482 से समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाहियों के साथ-साथ दिनांक 08.07.2010 को विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा 2013 के आपराधिक मामले सं. 4088, राज्य बनाम तिलका और अन्य में पारित समन व आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन फाइल किया गया है।

2. तथ्य, सीमित सीमा तक आवश्यक हैं कि वर्तमान आवेदकों और चार अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध 24.12.2009 को प्रतिवादी नंबर. 2, तत्कालीन वन रेंजर, खानपुर, रेंज-रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा दर्ज एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 23.12.2009 को, जब वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नियमित गश्त पर थे, लगभग 9 p.m. पर, वे गांव हरजोरा पहुंचे और देखा कि तिलका के घर में, सह-आरोपी, जंगली सुअर से मांस पकाने की प्रक्रिया में था और उस स्थान पर मल चंद जो कि सह-आरोपी है, के साथ आवेदक मौजूद थे।वसूली ज्ञापन तैयार किया

गया था।अन्य सह-अभियुक्तों ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला कर दिया।प्राथमिकी I.P.C की खंड 147,148,332,342,353 और 427 के से दर्ज की गई थी। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की खंड 9/51। जाँच पश्चात आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने I.P.C की खंड 147,148,332,342,353 और 427 और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की खंड 9/51 (इसके पश्चात् 'अधिनियम, 1972' के रूप में निर्दिष्ट) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया और आवेदकों व सह-अभियुक्त व्यक्तियों सम्मन जारी किये गए

3. श्री परीक्षित सैनी, आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री एस एस अधिकारी, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम द्वारा सुना ।

4. आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि वह मात्र इस कानूनी आधार पर बहस करेगा कि अधिनियम, 1972 की खंड 55 के आलोक में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।

5 . इस स्तर पर, अधिनियम, 1972 की खंड 55 के प्रावधान पर ध्यान देना आवश्यक है। अधिनियम, 1972 की धारा 55 का उपबंध निम्नलिखित प्रभाव खंड हैः

> *"55. अपराधों का संज्ञान।कोई भी अदालत इस अधिनियम के विरुद्ध किसी भी अपराध का संज्ञान*
> *(1) वन्यजीव संरक्षण निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी; या*
> *(2) अध्याय 4-क के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में सदस्य-सचिव, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण; या*
> *(3) सदस्य-सचिव, बाघ संरक्षण प्राधिकरण; या*
> *(4) संबंधित बाघ अभयारण्य के निदेशक; या*
> *(5) मुख्य वन्यजीव वार्डन, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी खंड शिकायत पर, ऐसी शर्तों के अधीन जो उस सरकार द्वारा निर्दिष्ट खंड जाएं; या*
> *(6) प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी।*

(7) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कथित अपराध के बारे में कम से कम साठ दिनों की सूचना दी है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उपरोक्त के रूप में अधिकृत अधिकारी को शिकायत करने के अपने इरादे की सूचना दी है।"

6. संहिता की खंड 482 के से अंतर्निहित शक्तियों में प्रथम सुचना रिपोर्ट, जांच या इसके अधीनस्थ किसी भी अदालत के समक्ष लंबित किसी भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्तियां शामिल हैं।ऐसी शक्ति का प्रयोग न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और ऐसे आदेश देने के लिए किया जा सकता है जो किसी दिए गए मामले के तथ्यों के आधार पर इस संहिता के से किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

7. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संहिता की खंड 482 में इंगित तीन स्थितियों में लागू किया जा सकता हैः

(i) संहिता से पारित आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, या
(ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और
(iii) न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए व वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग उचित मामलों में किया जाना चाहिए।

8. कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य, (1977) 2 एससीसी 699 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सी आर पी सी की खंड 482 से संपूर्ण शक्ति उच्च न्यायालय को किसी कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार देता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्यायाधीश के अंत के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।

9. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, (1992) अनुपूरक (1) एस. सी. सी. 335 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के से

असाधारण शक्ति और संहिता की खंड 482 के से अंतर्निहित शक्तियों की भी जांच की।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पैरा 102 इस प्रकार हैः

> *"अध्याय 14 से संहिता के विभिन्न सुसंगत उपबंधों खंड व्याख्या और अनुच्छेद 226 से असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों खंड एक श्रृंखला में इस न्यायाधीशालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों खंड पृष्ठभूमि में या संहिता खंड धारा 482 से अंतर्निहित शक्तियां जो हमने ऊपर निकाली हैं और पुनः प्रस्तुत खंड हैं, हम उदाहरण के रूप में निम्नलिखित श्रेणियों के मामले देते हैं जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय खंड प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज़ किए गए और कठोर दिशानिर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों खंड एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।*
>
> *(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, प्रथमदृष्टया किसी अपराध को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं या आरोपी के विरुद्ध मामला नहीं बनाते हैं।*
>
> *(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की खंड 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की खंड 156 (1) के से पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।*
>
> *(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के विरुद्ध मामला बनाते हैं।*
>
> *(4) जहां, प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन मात्र एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की खंड 155 (2) के से मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।*
>
> *(5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।*

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के प्रावधानों में से किसी में एक स्पष्ट कानूनी बाधा है और जहां कार्यवाही जारी है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

10. झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम मोहम्मद।शराफुल हक और अन्य, (2005) 1 एस. सी. सी. 122, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि किसी भी कार्रवाई की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्यायाधीश को बढ़ावा देने में बाधा आएगी।शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायोचित होगा यदि वह पाता है कि इसकी शुरुआत या निरंतरता न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाही को रद्द करने के बराबर है अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

11. अधिनियम, 1972 की खंड 55 में यह प्रावधान है कि कोई भी अदालत अधिनियम, 1972 के से किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय किसी व्यक्ति की शिकायत पर, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है।इसलिए, अधिनियम, 1972 के से अपराध के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती है और मात्र एक शिकायत बनाए रखने योग्य होगी। अधिनियम, 1972 की खंड 55 के उपबंध को पढ़ने पर यह बहुत स्पष्ट है कि मात्र उक्त खंड में उल्लिखित अधिकारी ही शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत हैं और खंड 55 में उल्लिखित अधिकृत अधिकारियों द्वारा ऐसी शिकायत दर्ज करने पर ही न्यायालय शिकायत पर संज्ञान ले सकता है।

12. बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान, (1988) 4 एस. सी. सी. 655 वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1972 से किसी अपराध में न्यायालय द्वारा मात्र अधिनियम, 1972 की खंड 55 में उल्लिखित अधिकारियों की शिकायत पर ही संज्ञान लिया जा सकता है।

13. तर्क के दौरान, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता राज्य की ओर खंड उपस्थित होते हुए, न्यायसंगत रूप खंड स्वीकार करता है कि मात्र धारा 55 में उल्लिखित अधिकारी ही शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं और मात्र ऐखंड अधिकारियों द्वारा ऐसी शिकायत दर्ज करने पर, न्यायालय संज्ञान ले सकता है।

14. इस प्रकार, जहां तक अधिनियम, 1972 की खंड 9/51 से अपराध किए जाने का संबंध है, वर्तमान मामला हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल (सुप्रा) के मामले में निर्णय के पैरा 102 में निर्धारित छठी श्रेणी के अंतर्गत आता है।

15. इस प्रकार, जहां तक अधिनियम, 1972 की खंड 9/51 से अपराध किए जाने का संबंध है, दिनांक 08.07.2010 को विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा 2013 के आपराधिक मामले संख्या 4088, राज्य बनाम तिलका और अन्य में पारित समन आदेश को रद्द कर दिया विद्वान है।भारतीय दंड संहिता के से शेष कार्यवाही जारी रहेगी।यद्यपि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अधिकारी चाहते हैं तो यह आदेश कानून के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारियों के रास्ते में नहीं आएगा।

16. यदि आवेदक आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित अदालत में पेश होते हैं और जमानत याचिका दायर करते हैं, तो संबंधित अदालतें उसी दिन जमानत याचिका पर विचार करेंगी।मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए विचारण न्यायालय मामले में तेजी लाएगी।

17. आपराधिक विविध आवेदन संहिता की खंड 482 के से दायर आवेदन का तदनुसार निपटान किया जाता है। लागत के लिए कोई आदेश नहीं।

(आलोक कुमार वर्मा, जे)

07.07.2020

जे के जे/नेहा